

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 79/2025

बउनवान

सरकार जयें देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां (प्रार्थी)
बनाम

1. श्री ललित पुत्र श्री ज्वाला सिंह, सोनी जी की ढाणी तलावाड़ा रोड़ बारां निवासी चौकी बोरदा जिला बारां
2. श्री दीपक सोनी, सोनी जी की ढाणी, तलावड़ा रोड़, बारां (अप्रार्थी)



प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :- 1. परोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 31.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, तलावाड़ा रोड़ बारां स्थित सोनी जी की ढाणी पर पहुंचे मौके पर मैनेजर श्री ललित पुत्र ज्वाला सिंह निवासी चौकी बोरदा जिला बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स पोरवाल इण्डेन बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।


इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए परंतु अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। दौराने विचारण अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार रसद की सुनी।


जिला कलेक्टर
बारां (राज०)



प्राथा

(देवाराम सारण)

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन दिया कि अप्रार्थीगण ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जप्तशुदा 4 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 07856, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (2) 2684938, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (3) 350172-S, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (4) 22898 का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थीगण/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रुपये यानि 4 गैस सिलेण्डर की कुल 10000/- रुपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर वापस लौटाए जावे। यदि अप्रार्थीगण जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेते हैं तो अप्रार्थीगण से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक रूबरू मैसर्स पोरवाल इण्डेन बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(रोहितेश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारां (राज.)